द बैलेंसिंग एक्ट

साभार : लाइव मिंट
23 अक्टूबर, 2017

गौतम मेहरा (सहभागी, कर और विनियामक सेवाएं, पीडब्ल्यूसी, इंडिया)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-III (भारतीय अर्थव्यवस्था) के लिए महत्वपूर्ण है।

करों से बचने की मांग करने वाले से वैध कर लाभ लेने वाली संस्था को स्पष्ट रूप से अलग करना होगा।

वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) के पहले 100 दिन पूरा होने के बाद, करदाताओं के लिए एक और 'जी' अर्थात सामान्य कर परिवर्जन रोधी नियम (GAAR) पर अपना ध्यान केंद्रित करने का समय आ गया है, जिसे भारतीय कर कानून में 1 अप्रैल, 2017 को प्रभावी बना दिया गया है और साथ ही यह भारत की कर नीति और कानून के उत्थान में एक जल विभाजक घटना है। कंपनियों को कर से बच निकलने के लिए आड़े तिरछे तरीके निकालने के प्रति निरत्साहित करने के उद्येश्य से प्रस्तावित सामान्य कर परिवर्जन रोधी नियम (GAAR) एक अप्रैल, 2017 से लागू किया गया है। 'न्यायिक' गार भारत में अतीत में लागू किया गया है, लेकिन 'विधायी' गार की शुरूआत कर चर्चा के इस दिलचस्प विषय में एक नया मोड़ देता है और करदाताओं और कर पेशेवर दोनों को कर की योजना के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव करने की आवश्यकता को दर्शाता है। देखा जाये तो 'बेनामी लेनदेन (निषेध) संशोधन अधिनियम 2016 का पारित किया जाना, प्रत्यक्ष कर विवाद निपटारा योजना 2016 और आकलन वर्ष 2017-19 से गार को लागू करना चालू वित्त वर्ष 2016-17 में सीबीडीटी की अब तक की बड़ी उपलब्धियों में शामिल है।'

सीबीडीटी ने जीएएआर को लागू करने से पहले इसके प्रावधानों को स्पष्ट करने के उद्देश्य से इससे जुड़े पक्षों पर बातचीत की गयी थी। जून, 2016 में जारी किए गए नोटिफिकेशन में सीबीडीटी ने प्रासंगिक नियमों में स्पष्ट रुप से संशोधन किया, जिसमें कहा गया था कि गार 1 अप्रैल से पहले अर्जित आय/ किसी भी व्यक्ति को निवेश के हस्तांतरण से हुई आय पर लागू नहीं होगा। ठीक इसी प्रकार 1 अप्रैल, 2017 से पहले फंड जुटाने वाले विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) भी गार के दायरे में नहीं होंगे। सीबीडीटी ने टैक्स नियमों में स्पष्टता, विश्सनीयता के लिये सरकार की प्रतिबद्धता का वादा करते हुये, ''सभी संबंधित पक्षों को आश्वस्त किया है कि इसके लिये सभी उपयुक्त उपाय किये गये हैं। गार को समान, उचित और तर्कसंगत तरीके से लागू किया जाये और गार के तहत कोई भी जुर्माना यदि लगाया जाता है तो वह मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये होगा। ये ऑटोमेटिक प्रक्रिया के तहत नहीं होगा। बुनियादी ढलान और लाभ स्थानांतरण (बीप) के आसपास वैश्विक विकास को देखते हुए, कार्यान्वयन की तारीख का पुशबैक (यह पहली बार अप्रैल 2012 में शुरू किया जाना था) ने भारत को इस विकास के समान वैश्विक रुझानों के साथ गठबंधन के रूप में पेश करने में मदद की है। इसके अलावा, इस कानून में अन्य स्वागत योग्य उपाय भी शामिल हैं:

- ग्रैंडफादरिंग प्रावधान, जिसके अंतर्गत 1 अप्रैल 2017 से पहले किए गए निवेश (लेकिन संरचनाओं की स्थापना नहीं) को ऐसे निवेशों के हस्तांतरण से उत्पन्न आय के संबंध में गार की प्रयोज्यता से संरक्षित किया जाएगा।
- गार की प्रयोज्यता से एक विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (एफपीआई) के लिए एक उत्कीर्ण आउट किया गया है, जो कोई संधि लाभ का दावा नहीं करता है किया गया है और एक एफपीआई इकाई में भागीदारी नोटों में निवेश करने वाले गैर-निवासी निवेशकों के लिए सुविधा प्रदान करता है।
- गार लागू होने से पहले 3 करोड़ रुपये का कर लाभ की एक न्यूनतम सीमा सीमा तय की गयी है और
- दो-चरण की स्वीकृति प्रक्रिया से पहले कर अधिकारी द्वारा गार शुरू किया जा सकता है।

भारत का कुछ देशों के साथ कर संधियां हैं, जहाँ संधि के लाभ का दावा किये जाने से पहले विशिष्ट गैर-बचाव संबंधी परिस्थितियों को पूरा किया जा सकता है- उदाहरण के तौर पर, सिंगापुर और मॉरीशस संधियों के तहत न्यूनतम व्यय सीमा होगी। हालांकि इन संधियों को शेयरों पर पूंजीगत लाभ सुरक्षा के लाभ को हटाने के लिए संशोधित किया गया है, ये चरण दो साल से अधिक है और ऐसे अन्य लाभ हैं जो इन संधियों के तहत उपलब्ध रहेंगे। इसी प्रकार, भारत बहुपक्षीय साधन पहल के लिए एक हस्ताक्षरकर्ता है जिसके तहत संधि के दुरुपयोग को रोकने के लिए कुछ संधि-संबंधित न्यूनतम मानकों को पूरा किया जाना है- इनमें से एक 'मुख्य उद्देश्य परीक्षण शामिल है, जिसमें कर संधि लाभ से इनकार किया जा सकता है एक व्यवस्था या लेन-देन के मुख्य उद्देश्यों में से एक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कर लाभ प्राप्त करना था। संधि में विशिष्ट शर्तों को शामिल करने पर गार लागू होगा या नहीं, इस पहलू पर, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने स्पष्ट किया है कि जहां से बचने का मामला संधि द्वारा ष्पर्याप्त रूप से संबोधित है', गार को लागू नहीं किया जाना चाहिए।

कर संधियों के तहत लाभ से संबंधित एक और पहलू ग्रैंड्फादर अवधि में किए गए निवेश के आसपास है, लेकिन 1 अप्रैल, 2017 के बाद एक अलग या नए साधन के रूप में हुई है। उदाहरण के तौर पर कुछ उदाहरण एक फॉर्म से दूसरे के लिए अनिवार्य रूप से परिवर्तनीय उपकरण होंगे, जो शेयरों के विभाजन या एकीकरण के माध्यम से अस्तित्व में लाए गए शेयर होंगे। यह परिपत्र इस तरह के निवेशों को भरोसे के साथ ग्रैंडफादरिंग फायदों को प्रदान करना चाहता है कि कन्वर्टिबल के मामले में, रूपांतरण ऐसे उपकरणों के जारी होने के समय अंतिम रूप में होता है। हालांकि, ऐसे अन्य समान उदाहरण भी हो सकते हैं, जैसे 1 अप्रैल, 2017 से पहले एक विदेशी कंपनी में अधिग्रहण किए गए शेयर, जो बाद में किसी अन्य कंपनी के साथ विलीन हो जाता है। आयकर नियमों के मुताबिक गार के तहत कन्व र्टेबल इन्ट्रूक मेंट्स, बोनस इश्योबएंसेस या स्पिल्टा या होल्डिंग के कंसॉलिडेशन के लिए 1 अप्रैल, 2017 से पहले किए गए निवेश पर भी लागू होंगे।

सीबीडीटी 27 जनवरी, 2017 के अपने सर्कुलर नं. 7 में, ने स्पष्ट किया है कि गार एक लेनदेन को लागू करने की एक विधि का चयन करने में करदाता के अधिकार के साथ परस्पर क्रिया नहीं करेगा। यह देखना दिलचस्प होगा कि विशिष्ट परिस्थितियों में यह कैसे निभाता है। स्पष्ट रूप से, आइए एक ऐसा मामला ले लें कि एक मुनाफा बनाने वाली कंपनी का विलय और समूह के भीतर हानि बनाने वाली कंपनी गैर-कर वाणिज्यिक कारणों से प्रेरित होती है। सामान्यत: जैसा कि समझ है, गार एक ऐसी व्यवस्था पर लागू होता है, जहां मुख्य उद्देश्य टैक्स लाभ प्राप्त करना है और जो अन्य के बीच में वाणिज्यिक पदार्थों का अभाव है। यह काफी दिलचस्प होगा जहां सभी हितधारकों के लिए महत्वपूर्ण पहलू गार प्रावधानों के इरादे से उनके सच्चे भावनाओं का पालन करना होगा।

इससे संबंधित तथ्य

क्या है ''गार''?

- *कर चोरी और काले धन को रोकने के लिये गार एक प्रकार का नियम है। गार को लागू करने के सरकार का उद्देश्य यह है कि जो भी विदेशी कंपनी भारत में निवेश करे, वह यहाँ पर तय नियमों के मुताबिक ही करें।*
- *इसका मुख्य उद्देश्य कराधान की खामियाँ दूर करना और कर चोरी करने वालों की पहचान करना है।*
- *गार यह सुनिश्चित करता है कि कर चोरी के उद्देश्य से किये गए लेन-देन तथा तथा अनुचित तरीके से कराधान के दायरे से बाहर रखी गई आय को कराधान के दायरे में लाया जाए।*

गार का इतिहास

- *गार नियम मूलरूप से प्रत्यक्ष कर संहिता (Direct Taxes Code DTC), 2010 में प्रस्तावित है और आम बजट 2012-13 को प्रस्तुत करते समय तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने गार के प्रावधानों का उल्लेख किया था।*
- *विदित हो कि विदेशी कंपनियाँ कई तरीकों से कर बचाती रही हैं। इस पर रोक लगाने के लिये सरकार ने गार कानून को लाने का प्रस्ताव रखा था। लेकिन तब विदेशी निवेशकों के निवेश संबंधी चिंताओं के मद्देनजर इसे स्थगित कर दिया गया। गार के प्रावधानों एवं संबंधित चिंताओं पर गौर करने के लिये पार्थसारथी शोम की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई। पार्थसारथी शोम समिति की प्रमुख सिफारिशें कुछ इस प्रकार हैं-*
- *पार्थसारथी शोम समिति ने सिफारिस दिया कि गार नियमों के क्रियान्वयन को तीन साल के लिये टाल दिया जाए।*
- *कर लाभ की मौद्रिक सीमा 3 करोड़ रुपये या इससे अधिक होने पर ही गार नियमों के तहत कार्यवाही की जाए।*
- *कंपनियों के अन्त: समूह लेन-देन पर गार नियमों को लागू नहीं किया जाए।*
- *आयकर कानून में संशोधन कर उसमें व्यवसायिक पूंजी को शामिल किया जाए।*

वर्तमान परिस्थितियाँ

- *पार्थसारथी शोम समिति ने गार नियमों के क्रियान्वयन को तीन साल के लिये टाल दिया था, अर्थात गार को 1 अप्रैल, 2014 से लागू करने का जो प्रस्ताव था। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2015 के बजट में गार के क्रियान्वयन को और 2 साल के लिये टाल दिया था। जाहिर है गार को 1 अप्रैल, 2017 से लागू करने की दिशा में सरकार कदम बढ़ा चुकी है। सरकार ने यह भी कहा है कि 31 मार्च, 2017 तक किये गए निवेश को गार के तहत नहीं लाया जाएगा और यह 3 करोड़ रुपये से अधिक के कर लाभ वाले दावों पर ही लागू होगी।*
- *गार की शुरुआत 2 चरणों में की जाएगी। पहले चरण में गार नियमों के अंतर्गत कार्यवाही मुख्य आयकर आयुक्त के स्तर पर होगी और दूसरे चरण में हाईकोर्ट के न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली एक समिति के स्तर पर।*
- *गार, करदाता के लेन-देन के चयन के तरीके के अधिकार में आड़े नहीं आएगा यानि करदाता अपने लेन-देन के तरीके चुनने को स्वतंत्र होगा। गार के तहत कर अपवर्जन के सामान्य नियम एक अप्रैल 2017 से प्रभावी होंगे।*
- *यदि कोई कर लाभ 'लाभ पर कर संधि' के प्रावधानों के तहत है तो वह गार के दायरे से बाहर होगी। गार, ऐसे विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों पर लागू नहीं होगा, जिनका मुख्या उद्देश्य कर लाभ लेना नहीं है और विदेशी पोर्टफोलियों निवेशकों की चिंताएँ दूर करने की दिशा में यह एक सकारात्मक कदम है।*

भारत दुनिया का 17 वां देश बन चुका है, जहाँ कर कानून संबंधित अनियमितताओं को दूर करने के लिए कानून बनाये गये है। वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, चीन, ब्रिटेन जैसे देशों में गार नियम लागू है।

प्रश्न- **सामान्य कर परिवर्जन रोधी नियम (गार) करों की चोरी और कालेधन पर रोकथाम के लिये बनाया गया एक खास कानून है। अत: इसमें कोई दो राय नहीं है कि यह कानून कर सुधारों की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। इस कथन का विश्लेषण कीजिये। (200 शब्द)**

The general tax avoidance regulation (GAAR) is a special law designed to prevent taxes and the prevention of black money. So there is no dual opinion that this law can prove to be an important step towards tax reforma. Analyze this statement. (200 Words)

705, IInd Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, New Delhi - 110009
Ph.: 011 - 27658013, 9868365322